

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला-बालोद ४००८०

क्र० २८० / २०१७

खेरथा दिनांक १६ / १० / २०१७

प्रति,

श्री अभिनन्दन

विषय - अतिथि व्याख्याता विषय ...लाइटिंग... में अध्यापन की अनुमति ।

रात्रिम् - इस कार्यालय का विज्ञापन क्र० १३० दिनांक ३ / ७ / २०१७

शारण के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन में गुणानुकंप के आधार पर विषय ...लाइटिंग... में अतिथि व्याख्याता के रूप में पत्र/सूचना प्राप्ति दिनांक से ०३ दिवस के अंतर्गत अध्यापन की अनुमति निम्न शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है ।

१. आपकी अध्यापन अनुमति महाविद्यालय में सिर्फ अतिथि व्याख्याता के रूप में रहेगी । विधि विहित परिमाण के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे ।
२. आपको शिक्षकीय कार्य के लिए ४० / ४५ गिनट व्याख्यान के लिए २००/- रु० प्रति व्याख्यान अधिकतम ०४ व्याख्यान प्रति दिवस अथवा अधिकतम प्रतिमाह २०८०/- रु० का मानदेय भुगतान किया जा सकेगा ।
३. अनुमति पत्र प्राप्त होते ही अपने कर्तव्य पर उपरिथित होवे । ०३ दिवस के अंतर्गत उपरिथित नहीं होने पर यह माना जायेगा कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं एवं आपकी अनुमति स्वेच्छा समाप्त मानकर अगले कम के अभ्यार्थियों को अनुमति दी जा सकेगी ।
४. कार्य पर उपरिथित होते रामय समरत अभिलेखों की मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।
५. यह अनुमति सत्र २०१८-१९ में २८ फरवरी २०१८ तक रहेगी अथवा शासन द्वारा रिक्त पर पर नियमित सहायक प्राध्यापक के पदांकन तक रहेगी । आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।
६. उपरिथिति के समय आपको शारण के निर्देशानुसार कहीं भी कोई शासकीय/गैरशासकीय संरथा में कार्यरत नहीं होने का तथा पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लिखित नहीं होने का प्रमाण पत्र नोटरी से रात्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
७. शासन के निर्देशानुसार अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश की पात्रता नहीं होगी । लगातार बिना पूर्वसूचना के ०३ दिवस तक अनुपस्थित रहने पर सेवा पृथक माना जायेगा ।



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

श्री अलोक मिश्रा  
(डॉ अलोक मिश्रा)  
प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला-बालोद ४००८०

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला-बालोद ४०५०  
खेरथा दिनांक ०६/०९/२०१  
१९६ / २०१

प्रा.

चिन्हिता छात्राओं  
काठ नं. ०५ नारायण द्वारा गली  
नया दाला, राजगढ़गाड़

मित्र- अतिथि व्याख्याता विषय अनुमति में अध्यापन की अनुमति ।  
समय- इस व्याख्याता का विज्ञापन का १७ दिनांक ०८/०९/२०१९

**अनुमति** शारान के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन में मुण्डानुक्रम के आधार पर विषय शारान के अतिथि व्याख्याता के रूप में ३त्र/सूधना प्राप्ति दिनांक से ०३ दिवस के अंतर्गत अध्यापन को अनुमति निम्न शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है ।

- १ आपको अध्यापन अनुमति महाविद्यालय में रिप अतिथि व्याख्याता के रूप में होगा । ऐसे विहित परिवार के अंतर्गत लाक एवं उपकरणों का विषय ।
- २ विदेशी शारीर के लिए ५०/५५ लालावान के लिए २००/- रु० प्रति व्याख्या अविकल्प प्रतिवाह ०५५ व्याख्यान प्रति दिवस अध्या अविकल्प प्रतिवाह २३३०/- २०० का मानदेश मुमताज़ के लिए जा रहा है ।
- ३ अनुमति प्रदे प्राप्त होते ही अपने कार्तव्य पर उपरिणियत हों । ०३ दिनांक के अंतर्गत उपरिणियत होने पर यह भान्सों जावेगा कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं एवं आपकी अनुमति रहमें रहना बनावार करने का अध्यायिका को अनुमति दो ना दर्केंगा ।
- ४ आप यह उपरिणियत होते रामय समरत आमेश्वरा की मूर्ति प्रति अल्लोकनार्थ प्रस्तुत करें ।
- ५ यह अनुमति सत्र २०१९-२०२० में फरवरी २०२० तक रुपों अध्या शारान द्वारा रिकार्ड पर नियमित सहायक प्राच्यापान के पदाकन तक रहेगी । आवश्यकता परन्तु पर नियमानुसार अपील से दुख्खी की जारी होगी ।
- ६ उपरिणियत के दूसरे आपको शारान के निर्देशानुसार कही भी कोई शासकीय/सांशारीय, रामेश्वर में कार्यरत नहीं होने का तथा पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लावेत नहीं होने का प्रमाण पत्र नोटरी से रात्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- ७ शारान के निर्देशानुसार अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश की पात्रता नहीं होगी । लगातार विनापूर्व सूचना के ०३ दिवस तक अनुपरिणियत रहने पर रोग पृथक माना जावेगा ।



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

(डॉ. शासकीय मिश्र)

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय, बालोद  
निदेशानुसारेद (छपा)

अधिकारी का नाम और पद  
 श्रीमति महेश (प्रेरणा)  
 उत्तर - झालोड (छ.ग.)  
 मुख्य विद्यार्थी का नाम  
 अनुभव चौधरी (राजेश)

विषय - अतिथि नामांकन (वास्तवीय शास्त्र) के द्वारा  
 अनुभव चौधरी हेतु मात्र 2019-20 में कार्यकारी  
 बदलाव की अनुमति दिए गए।

विषयाली इसीमें इन दिनों से भूमिका  
 आये ने मात्राविधान से मानवीय उच्च-जायलाक्ष  
 शब्द विद्युत विद्यावाहक विद्यालय से 2018-19  
 में आये ने मात्राविधान से अनुभव अनुभव का  
 कार्य दिया था।

अतः आपने अनुशोध के लिए  
 मेरे पड़ के लिए अपने वर्ष की सम्पूर्ण विद्यालय  
 विद्युत विद्यालय के लिए 2019-20 2019.20  
 में अनुभव-अनुभव कार्य हेतु अनुमति प्रदान की  
 दी गयी।

अधिकारी

5/9/2019



Principal,  
 Govt. College, Khertha  
 Distt. Balod (C.G.)

(गु)

STO नं २५३८५/१९/२०

अधिकारी का नाम

2 नवंबर 2019

9424663027

पति,  
प्राचार्य जी,  
गांधीजी महाविद्यालय क्षेत्रभा,  
जिला - बालोद (छ.ग.)

विषय : - आतीषी याक्याता (विषय - वनस्पति गान्धी) के  
एप से अध्यापन कार्य दृढ़ रूप 2019-20 में  
कार्यमार प्रदान करने की अनुमति जावत,  
महोदय जी,

'विषयांगता लेख है कि आपके  
महाविद्यालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  
नियुक्ति घोषित रखी है, जो 20-18-19 में  
आप के महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया  
गया था।

आप से अनुरोद है कि मेरे  
पर के विषय प्रैदले वक्त की ओर वर्तमान  
नियुक्ति आदेश न निकालो तुलसी 2019-20  
में अध्यापन कार्य दृढ़ अनुमति प्राप्त करें।

सामर यात्रा।

प्राप्ति

प्राप्ति

आतीषी याक्याता

नाम - यामिनी भट्ट

विषय - वनस्पति गान्धी

मो - 9131578851

Princ.

Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)



# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला-बालोद ४०८०

क्र० १५५ / २०१

खेरथा दिनांक ०२/०८/२०१

प्रति,

श्री कौमुल शर्मा राष्ट्री  
८/० श्री लिलाचान राष्ट्री  
ग्राम आगी १२८८०-गोदावरी  
विस्का दुर्योग परिषद राजगढ़गढ़ी

विषय-

अतिथि व्याख्याता विषय **राष्ट्रीय विषय** में अध्यापन की अनुमति ।

संदर्भ-

इस कार्यालय का विज्ञापन क्र० ११७ दिनांक ०७/०९/२०१४

शासन के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन में गुणानुक्रम के आधार पर विषय **राष्ट्रीय विषय** में अतिथि व्याख्याता के रूप में पत्र/सूचना प्राप्ति दिनांक से ०३ दिवस के अंतर्गत अध्यापन की अनुमति निम्न शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है ।

- आपकी अध्यापन अनुमति महाविद्यालय में सिर्फ अतिथि व्याख्याता के रूप में रहेगी । विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे ।
- आपको शिक्षकीय कार्य के लिए ४०/४५ मिनट व्याख्यान के लिए २००/- रु० प्रति व्याख्यान अधिकतम ०४ व्याख्यान प्रति दिवस अथवा अधिकतम प्रतिमाह २०८००/- रु० का मानदेश भुगतान किया जा सकेगा ।
- अनुमति पत्र प्राप्त होते ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होवें । ०३ दिवस के अंतर्गत उपस्थित नहीं होने पर यह माना जावेगा कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं एव आपकी अनुमति रवमेव समाप्त मानकर अगले कम के अभ्यार्थियों को अनुमति दी जा सकेगी ।
- कार्य पर उपस्थित होते समय समरत अभिलेखों की मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रत्युत करेंगे ।
- यह अनुमति सत्र २०१४-१५ से २०१५ फरवरी २०१५ तक रहेगी अथवा शासन द्वारा रिक्त पर पर नियमित सहायक प्राध्यापक के पदांकन तक रहेगी । आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।
- उपस्थिति के समय आपको शासन के निर्देशानुसार कहीं भी कोई शाराकीय/गैरशासकीय संस्था में कार्यरत नहीं होने का तथा पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लिखित नहीं होने का प्रमाण पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- शासन के निर्देशानुसार अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश की पात्रता नहीं होगी । लगातार दिना पूर्वसूचना के ०३ दिवस तक अनुपस्थित रहने पर सेवा पृथक माना जावेगा ।



Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

(डॉ आरोक्त मिश्र)  
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला-बालोद ४०८०